"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2009—अग्रहायण 6, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (1985), प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री एन. बैजेन्द्र कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1988), केवल आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली के प्रभार से मुक्त होंगे.

मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. श्री पी. अन्बलगन, भा.प्र.से. (2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर की सेवायें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

4. श्री अन्बलगन, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्री मुकेश कमार, भा.प्र.से. (2005), आयुक्त नगर निगम, बिलासपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 18-11-2009 से 20-11-2009 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-7/11/2008/1/2.—श्री बासवराजू एस., भा.प्र.से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा, जिला कोरबा को दिनांक 21-08-2009 से 26-08-2009 तक (06 दिवस) का (कार्योत्तर) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री बसवराजू एस. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बसवराजू एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से., आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 30-11-2009 से 10-12-2009 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28 एवं 29 नवम्बर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर आगामी आदेश तक आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती छिब्बर के उक्त अवकाश अवधि में श्री सी. एस. डेहरे, अपर संचालक, भू-अभिलेख, छ. ग., रायपुर अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर का चालू कार्य भी सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गंजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक 2855/974/2009/1-8/स्था.—श्री मनोहर केसवानी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 12-10-2009 से 24-10-2009 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर केसवानी को अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर केसवानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक 2857/981/2009/1-8/स्था.—श्री संजीव बक्शी, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 3-11-2009 से 13-11-2009 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजीव बक्शी को संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव बक्शी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2009

क्रमांक 1342/951/2009/1-8/स्था.—श्री एम. एस. सोलंकी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री निवास को दिनांक 20-10-2009 से 24-10-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एस. सोलंकी को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री निवास के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एस. सोलंकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 6-25/2009/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय श्री बी. एल. ठाकुर, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 23-11-2009 से 03-12-2009 तक 11 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की [illegible] एवं अवकाश पूर्व दिनांक 21-11-2009 एवं 22-11-2009 के सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ. 01-34/31/स्था./2009.—छ. ग. जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 में कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियम में 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा अवधि निर्धारित की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार जल संसाधन विभाग में कार्यपालन अभियंता (सिविल) से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 01-01-2009 की स्थिति में जिनकी कुल सेवा अवधि 27 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, को विभाग के भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हकारी सेवा 05 वर्ष से घटाकर 03 वर्ष (कलेण्डर वर्ष 01-01-2009 से 31-12-2009 तक के लिये) की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2009

क्रमांक/एफ-10-3/25-3/09/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 23 में सम्मिलित "गंड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरीं, गड़रिया (पाल, बेघेले)" के पश्चात् "गड़ेरी" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).— इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3210 को दिनांक 27-09-2009 से 31-12-2009 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 2-33/2006/12.— सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उप नियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत जिला रायपुर स्थित निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र (जिस पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन निरस्त घोषित किया गया है) इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के तीस दिन के पश्चात् खनिज डायमंड, गोल्ड, प्रीसियस स्टोंन, कॉपर, लेड, जिंक एवं क्रोमियम की खनिज रियायत के पुन: अनुदान के लिए उपलब्ध रहेगा.

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	जिला	आवेदित क्षेत्र का अक्षांश एवं देशांश का विवरण टोपाशीट नंबर 64 K/11			अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
	रिकोखुर्द, रिकोकला, रूनझुनी, अमरूवा, डुमरपाली	रायपुर	प्वाइंट	देशांश	अक्षांश	खनिज रियायत के पुन: अनुदान के लिए अधिसूचित क्षेत्र के अभिलेख/मानचित्र की प्रतियां संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, सोनाखान भवन रायपुर से प्राप्त की जा सकती है
			A	82° 35' 35" E	21° 23' 05" N	
			B	82° 37' 07" E	21° 23' 49" N	
			C	82° 37' 02" E	21° 20' 42" N	
			D	82° 35' 53" E	21° 20' 42" N	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1570/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2009.— छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमन कुमार सिंह, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 2-44/2003/1-8 दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के पालन में सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22-10-2009 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कम्पनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

1. पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 352-353/एफ-1-9/2008/13-1/ऊ.वि./2009 दिनांक 02-03-2009 के अनुसार श्री डी.एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन इस कंपनी में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त थे. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2 दिनांक 16-08-2009 के अनुसार वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं. अत: श्री डी. एस. मिश्रा जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

2. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1572/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2009.— छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमन कुमार सिंह, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 2-44/2003/1-8 दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के पालन में सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22-10-2009 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कम्पनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

1. पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 356-357/एफ-1-9/2008/13-1/ऊ.वि./2009 दिनांक 02-03-2009 के अनुसार श्री डी.एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन इस कंपनी में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त थे. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2 दिनांक 16-08-2009 के अनुसार वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं. अत: श्री डी. एस. मिश्रा जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

2. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1574/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2009.— छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमन कुमार सिंह, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 2-44/2003/1-8 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 के पालन में सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22-10-2009 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कम्पनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

1. पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 354-355/एफ-1-9/2008/13-1/ऊ.वि./2009 दिनांक 02-03-2009 के अनुसार श्री डी.एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, ऊर्जा, छत्तीसगढ़ शासन इस कंपनी में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त थे. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/

एक/2 दिनांक 16-08-2009 के अनुसार वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं. अतः श्री डी. एस. मिश्रा जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

2. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1576/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2009.— छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमन कुमार सिंह, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 2-44/2003/1-8/दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के पालन में सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22-10-2009 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कम्पनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

1. पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 358-359/एफ-1-9/2008/13-1/ऊ.वि./2009 दिनांक 02-03-2009 के अनुसार श्री डी.एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, ऊर्जा, छत्तीसगढ़ शासन इस कंपनी में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त थे. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2 दिनांक 16-08-2009 के अनुसार वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं. अतः श्री डी. एस. मिश्रा जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

2. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

क्रमांक 1578/एफ 1-9/2008/13-1/ऊर्जा विभाग/2009.— छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमन कुमार सिंह, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 2-44/2003/1-8/दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के पालन में सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22-10-2009 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कम्पनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

1. पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 360-361/एफ-1-9/2008/13-1/ऊ.वि./2009 दिनांक 02-03-2009 के अनुसार श्री डी.एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव, ऊर्जा, छत्तीसगढ़ शासन इस कंपनी में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त थे. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2 दिनांक 16-08-2009 के अनुसार वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं. अतः श्री डी. एस. मिश्रा जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

2. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 10-4/2009/16.— छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. सी. दलेई, श्रमायुक्त, श्रम विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "मुख्य संराधक" नियुक्त करता है.

No. F-10-4/2009/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the subject, State Government hereby appoints Shri P. C. Dalei, Labour Commissioner to be Chief Conciliator for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ-5-56/दो/आठ-परि./05.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची तीन में, कॉलम क्र. (1) के सरल क्र. 4 के कॉलम क्र. (4) में शीर्षक "सीधी भर्ती/चयन हेतु अर्हता" के अंतर्गत परिवहन आरक्षक के पद हेतु शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा या (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया हो."

No. F-5-56/Two/Eight-Trans./05.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Transport Department sub-ordinate Class-III (Executive) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In Schedule III, under the heading "Eligibility for Direct Recruitment/Selection", in column No. (4) of serial No. 4 of column No. (1) for the entries relating to Educational Qualification for the post of transport constable, the following entry shall be inserted namely :—

"Must have passed Higher Secondary School Certificate Examination or 12th Examination under 10+2 Education System, from Board of Secondary Education Chhattisgarh or from any institution recognised by the State Government."

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ-5-8/दो/आठ-परि./09.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1972 अनुसूची-एक, (नियम 4) के वेतनमान में ब्रम्हस्वरूप समिति के अनुशंसानुसार निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

(परिशिष्ट-1)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	संशोधन वेतनमान दिनांक 01-04-2006 से स्वीकृत	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
01	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	8000-13500	

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2009

क्रमांक 119/परि.वि./09.— छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06, पर छत्तीसगढ़ राज्य से उड़ीसा राज्य की ओर गुजरने वाले मार्ग पर वर्तमान में ग्राम-भगतदेवरी में स्थापित परिवहन जांच चौकी को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-06 पर ग्राम-खम्हारपाली में स्थित नवीन एकीकृत जांच चौकी को दिनांक 01-12-2009 से स्थानांतरित किया जाता है. परिवहन जांच चौकी का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.	मार्ग	परिवहन जांच चौकी का नाम
1.	रायपुर-सम्बलपुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-06)	खम्हारपाली

उक्त एकीकृत जांच चौकी में परिवहन विभाग के पदस्थ स्टाफ द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं मोटरयान कराधान अधिनियम तथा अन्य अधिनियम व नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जांच कार्य व करों की वसूली आदि का कार्य निष्पादित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-27/खाद्य/2009/29.— द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की कंडिका 9 (ङ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जिला कलेक्टर को उनके अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. सिलेण्डर्स का घर पर परिदान करने वाले वितरकों को भौगोलिक भू-भाग और दूरी को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रभार नियम करने हेतु, राज्य सरकार की शक्तियां प्रत्यायोजित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप पंत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 9-27/खाद्य/2009/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6-11-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप पंत, सचिव.

Raipur, the 6th November 2009

No. F 9-27/Food/2009/29.—In exercise of the powers conferred by 9 (e) of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 the State Government hereby delegates the power of fixing additional charges for home delivery of LPG to District Collectors in their respective districts in view of the geographical terrain and the distance in the area of distribution, if necessary.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP PANT, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 16 नवम्बर 2009

क्रमांक/64/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05 अ/82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	तुमगांव प. ह. नं. 83.	0.983	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	गाड़ाघाट एनीकट योजना के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	जिलगा	2.93	सरपंच, ग्राम पंचायत, जिलगा	दवन नाला बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08 /अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसल्दा प. ह. नं. 28	6.037	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना अमलीपानी वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09 /अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सरवानी प. ह. नं. 31	2.297	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना अमलीपानी वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जतरी प. ह. नं. 28	7.514	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना अमलीपानी वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/5/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-भगवानपुर, प. ह. नं.-14, तहसील व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जूमला 4.921 हे. केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 09-3-2007 तथा दिनांक 14-09-2007 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-भगवानपुर

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा
1	61/1	0.202
योग	**01**	**0.202 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्र./48/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-सांगीतराई प. ह. नं.-11, तहसील व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जूमला 6.796 हे. केलो परियोजना झारमुड़ा शाखा नहर हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 28-9-2007 तथा दिनांक 1-02-2008 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-सांगीतराई

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा
1	82/1	0.218
योग	**01**	**0.218 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक /49/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-कोसमनारा, प. ह. नं.-11, तहसील व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जूमला 4.181 हें. केलो परियोजना झारमुड़ा शाखा नहर हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 28-9-2007 तथा दिनांक 21-03-2008 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-कोसमनारा

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा
1	150/1	0.595
योग	01	**0.595 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्र./50/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-कलमी, प. ह. नं.-14, तहसील व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जूमला 3.460 हे. केलो परियोजना झारमुड़ा शाखा नहर हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 28-9-2007 तथा दिनांक 21-03-2008 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-कलमी

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा
1	369/1	0.304
2	385/1	0.169
3	381/7	0.061
4	390/1	0.052
योग	04	**0.586 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्र./51/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-छुहीपाली, प. ह. नं.-11, तहसील व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जूमला 7.603 हे. केलो परियोजना झारमुड़ा शाखा नहर हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 28-9-2007 तथा दिनांक 1-02-2008 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-छुहीपाली

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा
1	120/19	0.032
2	72/4	0.134
3	109	0.142
4	86/1	0.008
योग	**04**	**0.316 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्र./53/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-तड़ोला, प. ह. नं.-36, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जूमला 8.437 हे. केलो परियोजना शाखा नहर हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 28-9-2007 तथा दिनांक 21-03-2008 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-तड़ोला

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा हे. में
1.	23/4	0.097
2.	20/1	0.133
3.	23/3, 24	0.190
4.	32/4	0.059
योग	**5**	**0.479**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्र./54/अ-82/2006-07.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-जकेला, प. ह. नं.-30, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जूमला 6.271 हे. केलो परियोजना अन्तर्गत झारमुड़ा शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 28-9-2007 तथा दिनांक 21-03-2008 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-जकेला

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा
1.	432	0.206
2.	444/2	0.610
3.	438/2	0.243
योग	**03**	**1.059**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त की जा रही भूमि का अन्य ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सामरी	भवानीपुर	0.323	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप-संभाग, अम्बिकापुर.	कन्दरी भवानीपुर पहुंच मार्ग पर टेवा सेतु निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./31/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	हनुमानगढ़	67.232	मे. अंकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./32/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	तोलगा	107.068	मे. अकलतारा पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 12 नवम्बर 2009

क्रमांक/01/कले./भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीजापुर	भैरमगढ़	सडार	1.855	मेसर्स छ. ग. एनर्जी कन्सोर्टियम (इण्डिया) प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद (क्रेडा से संबद्ध).	लघु जल विद्युत परियोजना मांढेर-1.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 17 सितम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/20/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-कुरूषपाल, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.124 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86	0.020
163	0.028
87	0.012
96/3	0.020
200	0.032
212	0.012
योग 6	0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/27/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बस्तर
 (ख) तहसील-बस्तर
 (ग) नगर/ग्राम-सोनारपाल, प. ह. नं. 26
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.284 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	30, 53/5	0.048
	50	0.040
	36/6 क	0.048
	33/6 क	0.008
	49	0.016
	48	0.016
	47	0.040
	190/77	0.008
	190/11	0.040
	32	0.020
योग	10	0.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता सह सचिव परियोजना क्रियान्वयन (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कार्यालय, जगदलपुर में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 सितम्बर 2009

रा. प्र. क्र. 01/अ 82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा
 (ख) तहसील-पामगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-कोनार, प. ह. नं. 01
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.890 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1435/1	0.024
	1564	0.024
	1566	0.049
	1567/3	0.133
	1567/6	0.065
	1567/11	0.150
	1567/14	0.045
	1567/15	0.049
	1582/4	0.157
	1588	0.016
	1583/1	0.045
	1583/2	0.061
	1584	0.016
	1586/1	0.032
	1587	0.024
योग		0.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनार जैतपुर मार्ग पर लीलागर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 12 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-बडगांव, प. ह. नं. 9/76
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1336	0.32
	1337	0.17
योग	2	0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बडगांव-कुण्डा मार्ग के कि. मी. 4/10 पर कोल्ह कोल्हान नाला पर पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 12 नवम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-मौहाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.27 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	139, 141/1	0.40
	26/2	0.18
	148, 149/1, 149/2, 150/2	0.36
	150/1	0.11
	164	0.14
	147/2	0.08
योग		1.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मौहाडीह के सोहागपुर खरवानी मार्ग प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	45/3	0.07
	46/1	0.07
	47	0.08
योग	3	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोता एनीकट एवं एफलक्स बंड निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुज़ा, दिनांक 6 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./1/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-भैयाथान
- (ग) नगर/ग्राम-मसिरा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.42 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4/1	0.15
	401/5	0.05
	772/1	0.10
	814/2	0.18
	820	0.07
	1266/1	0.23
	1270/2	0.24
	1284/1	0.23
	1290/1	0.05
	1456/1	0.12
योग	10	1.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के छूटी हुई भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 6 नवम्बर 2009

रा. प्र. क्र./2/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-भैयाथान
- (ग) नगर/ग्राम-लोधिमा, प. ह. नं. 53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	11/1	0.12
	317	0.19
	324	0.40
	327	0.05
	330	0.17
	368	0.08
	369	0.07
योग	7	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के छूटी हुई भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला-बिलासपुर, छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2009

क्रमांक/पंचा./निर्वा./2009/3629.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा./निर्वा./2009/188 दिनांक 23-10-2009 के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत, ककेड़ी के आश्रित ग्राम, खपरी को नगर पंचायत, सरगांव में सम्मिलित करने के फलस्वरूप छ. ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 126 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सोनमणि बोरा कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) एतदद्वारा कालम क्रमांक 03 में उल्लेखित ग्राम पंचायत, ककेड़ी के कालम क्रमांक 05 में उल्लेखित आश्रित ग्राम खपरी को विस्थापित कर स्तम्भ क्रमांक 06 में उल्लेख अनुसार ग्राम के लिये छ. ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 03 के प्रयोजन हेतु "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट करता हूं. ग्राम खपरी का विस्थापन जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिये भी लागू होगा. उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आश्रित ग्राम एवं जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना)	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम/ग्रामों का नाम	विस्थापन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले ग्राम का नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बिलासपुर	पथरिया	ककेड़ी	ककेड़ी-621 खपरी-283	खपरी-283	ककेड़ी	621	41.

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 18 अगस्त 2009

क्रमांक/7170/पंचायत/2009.—जनपद पंचायत खैरागढ़ के 5 गांवों को नगरपालिका परिषद् खैरागढ़ में सम्मिलित किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 125 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. रोहित यादव, कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव नीचे दर्शित सारिणी के कॉलम 3 में उल्लेखित ग्राम पंचायत में उनके नाम के सामने सारिणी के कालम 5 में उल्लेखित गांव को शामिल कर तथा कॉलम 6 में उल्लेखित गांव को अपवर्जित कर पुनर्गठित करता हूं. पुनर्गठित ग्राम पंचायत की स्थिति सारणी के कॉलम 7 में दी गई है.

सारणी

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में वर्तमान में शामिल ग्राम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांव का नाम	ग्राम पंचायत से अपवर्जित गांव का नाम	परिसीमन पश्चात् पुनर्गठित ग्राम पंचायत में शामिल गांवों की स्थिति		
						गांव का नाम	जनसंख्या	प. ह. क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
1	खैरागढ़	पांडादाह	पांडादाह	चिखलदाह	—	पांडादाह	1486	6
				—	—	चिखलदाह	501	15
				—	—	योग	1987	
2.	खैरागढ़	मुतेड़ा	मुतेड़ा	—	—	मुतेड़ा	854	21
			कौड़िया	—	—	कौड़िया	437	21
			नवांगांवकला	—	नवांगांवकला	योग	1291	
3.	खैरागढ़	सहसपुर	सहसपुर	नवांगांवकला	धनेली	सहसपुर	794	20
			धनेली	—	—	नवांगांवकला	590	21
				—	—	योग	1384	
4.	खैरागढ़	दिलीपपुर	दिलीपपुर	खमतराई	—	दिलीपपुर	1186	22
						खमतराई	634	19/1
						योग	1820	

रोहित यादव,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th November 2009

No. 939/Confdl./2009/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2), in whose favour a certificate of confirmation was issued vide Registry Order No. 222/Confdl./2004/II-2-4/2002 dated 02-07-2004, are hereby, allotted the date of confirmation in Higher Judicial Service as mentioned in

column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Shri Gautam Chouradia	01-03-2007
2.	Shri Anil Kumar Gaikwad	01-08-2007
3.	Shri Shiv Mangal Pandey	21-11-2007
4.	Shri Ramesh Kumar Rathi	03-01-2008
5.	Shri Anand Kumar Beck	11-01-2008
6.	Smt. Vimla Singh Kapoor	01-02-2008
7.	Shri Sanjay Sendray	01-02-2008

Bilaspur, the 9th November 2009

No. 949/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judge Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as. (6)
1.	Ku. Garima Arya, Civil Judge Class-II.	Simga	Raipur	Raipur	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.
2.	Shri Nratyanjay Singh Patel, Civil Judge Class-II.	Narayanpur	Kartala	Korba	Civil Judge Class-II, vice Shri Satyendra, Kumar Mishra.
3.	Smt. Mamta Shukla, I Civil Judge Class-II.	Mahasamund	Durg	Durg	VIII Civil Judge Class II vice Ku. Dwarika Tidke.
4.	Shri Siddharth Agarwal, I Civil Judge Class-II.	Sanjari-Balod	Simga	Raipur	Civil Judge Class-II, vice Ku. Garima Arya.
5.	Shri Pramod Singh Paraste, II Civil Judge Class-II.	Jadgalpur	Navagarh	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II, vice Shri Yashpal Singh Tandon.

By order of the Hon'ble High Court,
G. MINHAJUDDIN, I/c. Registrar General.